



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
छठवाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष : 0522-2288656

cehydelpcl@gmail.com

फैक्स : 0522-2288655

संख्या : ११६ अ-२/सी०ई०एच०/नियमिती०-१०७७/१७

दिनांक ०९/०६/२०१७

कार्यालय-ज्ञापन

इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या-1258-अ-२/सी०ई०एच०/नियुक्ति(सीधी भर्ती-१०७७)/०७ दिनांक ०५-११-२००७ द्वारा नियुक्त अधोनामित अवर अभियन्ताओं (प्रशिक्षु) द्वारा ०१ वर्ष का आधारभूत क्रियात्मक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त उनकी विशेष कार्य कौशल आख्या संतोषजनक प्राप्त होने पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-८ में अंकित तिथि से उनका नियमितीकरण अवर अभियन्ता(सामान्य श्रेणी) के पद पर अपनरीक्षित वेतनमान रू० ५३००-१५०-५६००-१७५-९१०० (प्रारम्भिक वेतन रू० ५६००/-) में किया जाता है तथा उन्हें समय-२ पर अनुमन्य वेतन भत्ते इनके पदभार ग्रहण तिथि से देय होंगे। इनकी प्रशिक्षण अवधि इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु आगणित की जायेगी।

क्र० सं०	वरिष्ठता क्रमांक	अवर अभियन्ता का नाम	पिता का नाम	गृह जनपद	जन्मतिथि	अवर अभियन्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि/कार्य कौशल आख्या की तिथि	नियमितीकरण तिथि	वर्तमान तैनाती स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८	९
		सर्वश्री.....	सर्वश्री.....					
१	१४७८	कृष्ण कुमार भार्गव	राम चन्द्र महतो	मधुबनी (बिहार)	१३.१२.८२	२६.११.२००७ से २६.११.२००९ तक	२६.११.२००८	वि०वि०ख०-११ फतेहपुर
२	१३७९	विमल कुमार	अमर सिंह	औरैया	०५.०६.८२	२६.११.२००७ से २५.११.२००८ तक	२६.११.२००८	वि०वि०ख०, उरई
३	१०१७९	तारिक अनवर	नफीस अहमद	बलिया	०१.०१.८०	२९.१२.२००७ से २८.१२.२००८ तक	२९.१२.२००८	वि०वि०ख०-१ मऊ
४	१६५४	श्याम बिहारी प्रसाद	जानू राम	गाजीपुर	१४.०८.७८	२६.११.२००७ से २५.११.२००८ तक	२६.११.२००८	वि०वि०ख०-१ इलाहाबाद
५	१३२४	आलमगीर अन्सारी	इक्बाल हुसैन	देवरिया	१०.०९.७५	११.०२.२००८ से १०.०२.२००९ तक	११.०२.२००८	वि०वि०ख०, हमीरपुर

उपरोक्त नियमितीकरण निम्न प्रतिबन्धों के अधीन की जाती है:-

१. अवर अभियन्ता(सा०श्रे०) संवर्ग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।
२. अभ्यर्थी की सेवाये पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद अवर अभियन्ता सेवा विनियमावली १९७२ एवं इस संवर्ग में समय-समय में विनियमावली में हुए संशोधन के द्वारा भी नियन्त्रित रहेंगी।
३. अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई है तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के एवं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
४. अभ्यर्थी का चरित्र एवं आचरण गृह जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से पुलिस द्वारा सत्यापित कराये जाने पर प्रतिकूल आख्या प्राप्त होने की दशा में तत्काल सेवा से निष्कासित किया जायेगा।
५. अभ्यर्थी की सेवाये पावर कारपोरेशन लि० एवं अन्य के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश या प्रदेश से बाहर स्थानान्तरणीय है।
६. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र, प्रमाण-पत्र, घोषणा पत्र अथवा अन्य अभिलेखों को यदि भविष्य में किसी भी समय जाँच करने पर गलत पाया गया कि उसने स्वार्थ वश कुछ तथ्य जानबूझ कर छिपाये है तो उसकी सेवाये समाप्त कर दी जायेगी।

मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)

(2)

संख्या-११६-अ-२/तददिनांक ०९.०६.२०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्योचल/दक्षिणोचल/पश्चिमोचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को, कानपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण),
3. अधीक्षण अभियन्ता,
4. अधिशासी अभियन्ता, (विब), ३० प्र० फा० का० लि०, राविर भवन, लखनऊ।
5. कार्यालय अधीक्षक अनुभाग-१/२/३/४
6. कट-फाईल।

(बसन्त राम)

वैयक्तिक सहायक(षष्ठम)

कृते मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)